



Neutral Citation No - 2026:AHC:28108-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 2026 की 472

भरत @ नितिन चपराना एवं 2 अन्य
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....याचिकाकर्तागण

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : जिज्ञासा त्रिपाठी, सुरेन्द्र कुमार त्रिपाठी
प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता
माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. सुश्री जिज्ञासा त्रिपाठी, याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. सर्वप्रथम, याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय में यह कथन किया कि वे इस रिट याचिका को अनागृहीत रखना चाहते हैं तथा इसे प्रत्याहृत करने की प्रार्थना करते हैं।
3. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है।
4. किए गए कथन के दृष्टिगत, यह रिट याचिका प्रत्याहृत के रूप में खारिज की जाती है।

9 फरवरी, 2026

ज़फर

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"